कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा
निर्माण मजदूरों की कहानी

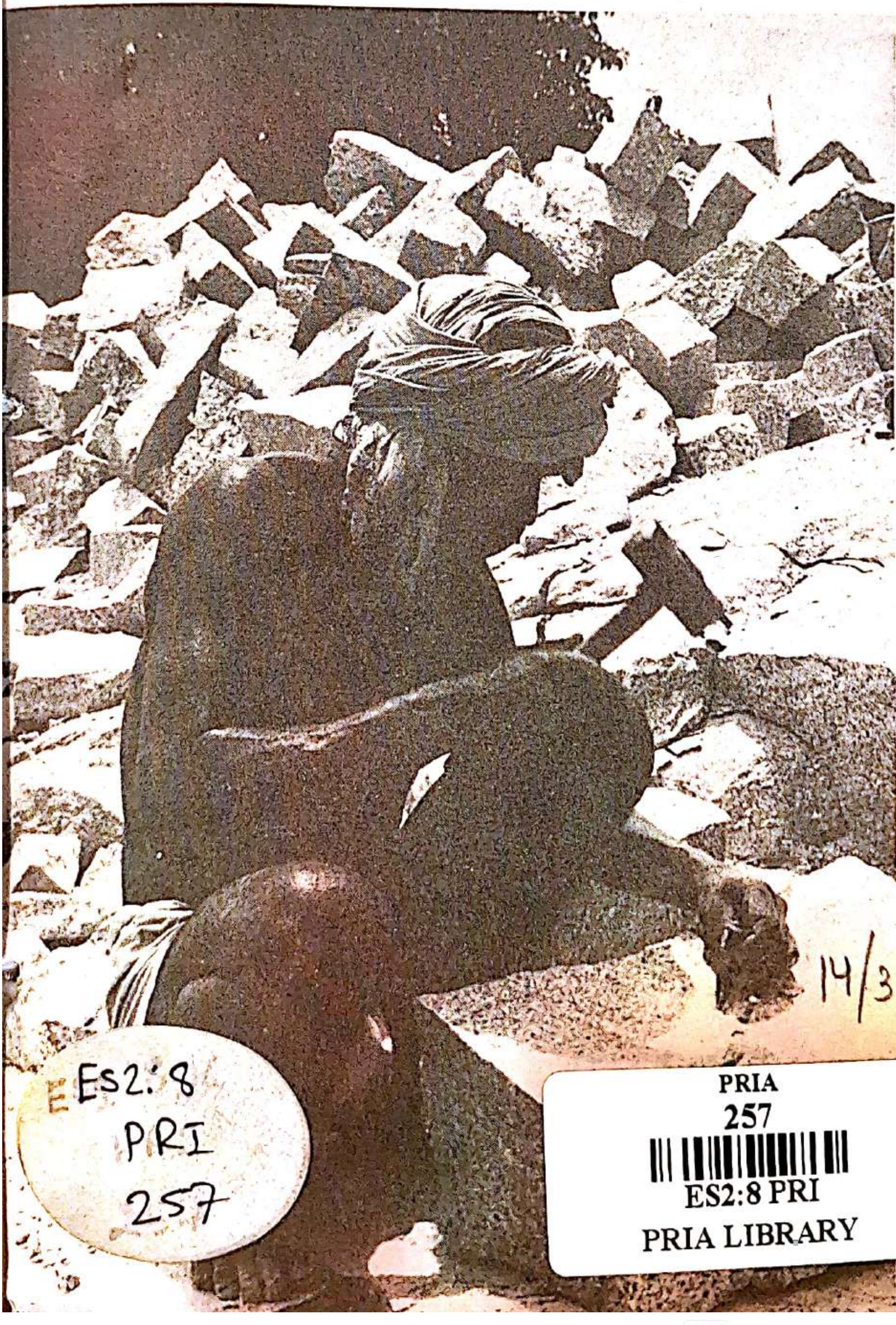

14/3

ES2:8
PRI
257

PRIA
257
ES2:8 PRI
PRIA LIBRARY

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तावना

सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (''प्रिया'') नयी दिल्ली आम कार्यकर्ताओं और समूहों के बीच सहभागी अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक प्रक्रिया में संलग्न है। निर्माण उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की बुरी स्थिति के विश्लेषण और इस गोष्ठी के आयोजन में ''प्रिया'' ने सहयोग किया है।

गोष्ठी के बाद के कार्यक्रमों में ''प्रिया'' ने हिन्दी में एक रपट तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई थी। यह रपट निर्माण उद्योग से जुड़े कार्यकर्ताओं और श्रमिकों के बीच ऐसी चर्चा में संभवतः मदद कर सकेगी।

इसको ''प्रिया'' के राजेश पाण्डे ने तैयार किया और ''वर्कबेंच'' द्वारा सज्जित तथा मुद्रित कराया।

जनवरी, १९८६.

Scanned with OKEN Scanner

भूमिका :

भारत में निर्माण उद्योग, कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा और पुराना उद्योग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो इस उद्योग का और तेजी से विस्तार हुआ है।

किसी भी समाज के विकास में निर्माण की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है और निर्माण उद्योग का सीधा संबंध सभ्यता के विकास से रहा है।

भारतीय संदर्भों में प्राचीन एवं मध्यकालीन निर्माण कौशल और निर्माण उद्योग की संपन्नता के चर्चे दूर-दूर तक रहे हैं। पिछले पैंतीस वर्षों में निर्मित विस्तृत रेल मार्ग व सड़कें, विशाल बांध, पुल, अस्पताल, विद्यालय तथा गगनचुम्बी अट्टालिकाएं भी इस उद्योग की संपन्नता व विशालता की साक्षी हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक विकास के लिए नियोजित कुल धनराशि के ४३ प्रतिशत निर्माण उद्योग में लगा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में तो एक लाख साठ हजार करोड़ रुपया निर्माण उद्योग में लगाया जाने वाला है।

सामान्य अनुमानों से पता लगता है कि लगभग एक करोड़ लोगों को निर्माण उद्योग से ही रोज़गार मिल रहा है। सातवीं योजना में निर्माण कार्यों पर होने वाले प्रस्तावित व्यय से तो यह संख्या और अधिक बढ़ जायेगी।

विडम्बना यह है कि आकार की विशालता के बावजूद इस उद्योग से जुड़े श्रमिकों को आज भी अत्यन्त अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है। आज भी वे "शाहजहांओं" के लिए "ताजमहल" बनाते हैं और बदले में उनके "हाथ काट लिए जाते हैं।"

निर्माण उद्योग के श्रमिक उत्पादन क्षेत्र में संलग्न कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, फिर भी उनकी व्यावसायिक व सामाजिक सुरक्षा तथा सामान्य जनतांत्रिक अधिकारों के लिए अब तक कोई कानून हमारे देश में नहीं बनाया गया है। उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, आवास, यहां तक कि न्यूनतम् वेतन तक का कोई विधिवत् प्रावधान नहीं है। आज भी वे इन सबके लिए मालिकों व ठेकेदारों की दया पर आश्रित हैं।

"तमिलनाडु निर्माण मजदूर यूनियन" ने निर्माण उद्योग के श्रमिकों की कार्यदशाओं में सुधार व उन्हें सामान्य अधिकार दिलाए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है।

इस यूनियन के प्रयासों से निर्माण मजदूरों के लिए एक पृथक व पूर्ण कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन १ से ३ नवम्बर, १९८५ को दिल्ली में किया गया। इस गोष्ठी में विभिन्न प्रान्तों से आए लगभग १२० कार्यकर्ताओं व श्रमिकों ने भाग लिया।

तीन दिन की इस गोष्ठी में चर्चा का प्रमुख विषय, निर्माण उद्योग के श्रमिकों की वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण तथा एक पृथक अधिनियम की अनिवार्यता ही रहा। इस गोष्ठी के दौरान अधिनियम की एक ठोस रूप-रेखा भी तैयार की गई।

यह रिपोर्ट इस गोष्ठी में प्रस्तुत विचारों, सुझावों एवं चर्चाओं का निचोड़ प्रस्तुत करती है। इससे निर्माण उद्योग के श्रमिकों एवं उनके बीच जुटे कार्यकर्ताओं की जागरूकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

उद्योग

निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों से सम्बद्ध अलग-अलग दीखने वाले किन्तु परस्पर आश्रित उद्योगों की श्रृंखला को एक साथ देखने पर ही इस उद्योग को पूर्णता में समझा जा सकता है। ये विभिन्न छोटे-छोटे उद्योग निर्माण के तीन मुख्य चरणों से सम्बद्ध है:

१.- निर्माण पूर्व
२.- निर्माण
३.– निर्माणोत्तर

१. निर्माण पूर्व:

निर्माण के इस चरण से वे उद्योग सम्बद्ध हैं, जो वास्तविक निर्माण में प्रयुक्त आवश्यक सामग्री का निर्माण करते हैं। निर्माण के लिए मौलिक आवश्यकता विशिष्ट प्रकार की मिट्टी, पत्थर व ईंट की ही होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योग इस प्रकार हैं:

(अ) खनन: खनन मुख्यत: पत्थर व पथरीली लाल मिट्टी के लिए किया जाता है। दोनों ही चीजों के लिए होने वाले खनन में डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है।

इस प्रक्रिया में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और विस्फोट के कारण वातावरण में उड़ने वाली धूल भी संलग्न श्रमिकों को क्षति पहुंचाती है।

(ब) पत्थर पीसना: पत्थर को तोड़ कर छोटे-छोटे टुकड़े करना व पीस कर धूल बनाना एक अन्य प्रक्रिया है जो निर्माण उद्योग का एक अभिन्न अंग है। पत्थर को एक मशीन की सहायता से छोटा किया जाता या पीसा जाता है। यह धूल फिर एक निश्चित आकार के पत्थर, डिजाइनदार जालियां बनाने अथवा अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रिया में उड़ने वाली धूल से हजारों श्रमिक प्रतिवर्ष सिलिकोसिस एवं टी०बी० जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।

(स) **ईंट भट्टा**: यह एक तरह से निर्माण उद्योग की आधारशिला है। यहां कच्ची मिट्टी को ईंट की शक्ल देने में हजारों मजदूर अपने शरीर को मिट्टी में मिला देने को मजबूर हैं। इस उद्योग में मजदूरी परिवारगत आधार पर की जाती है और एक भट्टे पर सामान्यतः १०० से २०० श्रमिक (बाल श्रमिकों सहित) काम करते हैं। इस काम में लगे बहुत से परिवार बंधुआ मजदूरों की जिन्दगी जी रहे हैं।

२. निर्माण:

निर्माण कार्य को मालिक-मजदूर रिश्तों व कार्यदशाओं की स्थिति के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है:—

अ— छोटे पैमाने पर निजी निर्माण

ब— बड़े पैमाने पर निजी निर्माण

स— सार्वजनिक निर्माण

(अ) **छोटे पैमाने पर निजी निर्माण**: बड़ी संख्या में लोग अपनी आवश्यकतानुसार अपने घरों का निर्माण अपनी देख-रेख में करवाते हैं। इस प्रकार की निर्माण प्रक्रिया में लगे श्रमिक सबसे अधिक असंगठित व असुरक्षित हैं। इस प्रकार के मजदूरों की संख्या भी काफी अधिक है, क्योंकि छोटे-बड़े शहरों में आज भी इसी पद्धति से निर्माण कार्य हो रहा है। इसका प्रमाण प्रत्येक शहर में मौजूद वे मजदूर बाजार हैं जहां रोज़गार की आशा में श्रमिक लाइन लगाए बैठे रहते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन अपने श्रम बेचने के लिए लाइन लगाने वालों पर शायद ही कोई श्रम कानून लागू होता हो।

(ब) **बड़े पैमाने पर निजी निर्माण**: बड़े-बड़े महानगरों में बढ़ती हुई बड़ी-बड़ी आवासीय इमारतों तथा बड़े-बड़े व्यावसायिक केंद्रों के निर्माण की संस्कृति ने बड़े पैमाने पर निजी निर्माण को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार के निर्माण कार्य से जुड़ी विशाल कंपनियां आज देश भर में अपना जाल बिछाए हुए हैं। एक बार अस्तित्व में आ जाने के बाद ये बड़ी-बड़ी निर्माण कंपनियां सरकारी कामकाज में भी अपना हिस्सा मारने लगी हैं। बांध, पुल, सड़क आदि के निर्माण में भी इन कंपनियों की भागीदारी बढ़ती जा रही है।

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार कम्पनियों व फर्मों के अन्तर्गत चलने वाले निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की कार्य की शर्तें व कार्यदशाएं कार्यकुशलता की श्रेणी के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। इन कंपनियों के आस-पास कुशल व अकुशल मजदूरों की सप्लाई करने वाले ठेकेदारों का एक गृह उद्योग भी खूब फल-फूल रहा है और इन बिचौलियों की बढ़ती ताकत के चलते मजदूरों की हालत प्रतिदिन बदतर होती जा रही है।

(स) **सार्वजनिक निर्माण :** रेल बिछाना, सड़क बनाना, बांध व पुल का निर्माण, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों व आवासों का निर्माण आदि तमाम गतिविधियां हैं, जो सीधे सरकारी या अर्द्धसरकारी विभागों व संस्थानों के माध्यम से होती हैं। यदि सभी केंद्रीय व राज्य सरकारों के सार्वजनिक निर्माण विभागों, सेतु निर्माण निगमों व आवास विकास निगमों आदि को जोड़ दिया जाय, तो निश्चित ही सरकार सबसे अधिक मजदूर लगाने वाला अकेला मालिक सिद्ध होगी।

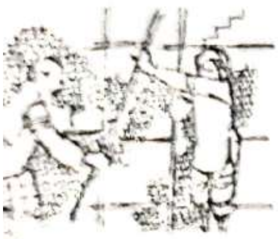

इस प्रकार सीधे सरकारों की देख-रेख में चल रहे निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सुरक्षा व कार्यदशाओं की दृष्टि से कोई बेहतर हालत नहीं है। हां, फर्क सिर्फ इतना है कि इस प्रकार के निर्माण में कई मजदूर एक स्थान पर एक साथ लंबे समय तक कार्य करते देखे जा सकते हैं।

३. निर्माणोत्तर

निर्माण कार्य संपन्न हो जाने के बाद उसके रख-रखाव एवं मरम्मत के कार्यों में श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा लगा हुआ है। पुताई, रंग-रोगन व मरम्मत में लगे हुए श्रमिकों को रोज ही बाजार में बैठना पड़ता है। श्रमिकों का यह वर्ग सबसे अधिक असंगठित है। उन्हें कभी-भी दो-चार दिन से ज्यादा का काम एक जगह प्राप्त नहीं होता है। बरसात के बाद के दिनों में जब मरम्मत व पुताई का काम जोरों पर होता है, इन्हें लगातार काम मिलने की संभावना होती है। शेष ९ माह इन्हें सड़क निर्माण या अन्य किसी कार्य की ही शरण लेनी पड़ती है।

निर्माण की इस मौसमी प्रकृति के कारण श्रमिक गांव एवं शहरों के बीच बराबर आता जाता रहता है। वह एक जगह स्थायी रूप से कार्य नहीं कर सकता। इस कारण भी उन तक किसी भी प्रकार के वर्तमान श्रम अधिनियम पहुंच पाने की संभावना धुंधला जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

उद्योग की विशिष्टताएं

गोष्ठी में हुयी चर्चाओं में इस उद्योग की कुछ विशिष्टताएं उभर कर सामने आयीं जो इस उद्योग को अन्य उद्योगों से अलग खड़ा करती हैं:–

घुमक्कड़ उद्योग

निर्माण उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहां श्रमिक, मशीनें, कच्चा माल आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जबकि इनके द्वारा उत्पादित वस्तु अपनी जगह खड़ी रहती है। अन्य उद्योगों की भांति इस उद्योग के पास अपना कोई निश्चित स्थान नहीं होता, जहां जाकर हम अपना माल बनवा सकें। यहां उत्पादक हमारे पास आकर हमारा भवन (माल) निर्माण करके दूसरी जगह चला जाता है। कई बार कुछ विशेष कार्य करने वालों को, जैसे छत बनाने वालों, नींव रखने वालों आदि को लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, क्योंकि इनका विशेष कार्य शीघ्र पूरा हो जाता है एवं ये निर्माण के अन्य कार्य नहीं करते। इसी प्रकार के विशेष कार्य करने वालों में बढ़ई, रंगाई वाले आदि भी आते हैं। ये सभी एक स्थान पर अपने कार्य को समाप्त करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उनके इस घुमक्कड़पन की मजबूरी की वजह से उन्हें किसी भी तरह के श्रम अधिनियमों के लाभ नहीं मिल पाते।

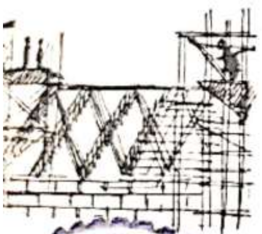

Society for Participatory Research in Asia
LIBRARY.
N. Delhi
257
8/9/87

मौसमी उद्योग

निर्माण उद्योग एक मौसमी या ऋतुकालीन उद्योग है। बरसात के दिनों में हर प्रकार का निर्माण कार्य–चाहे वह पत्थर खदानें हों या ईंट भट्टे, भवन निर्माण हो या पुल एवं सड़कें बनाना–सब बंद रहता है। सर्दियों में यह उद्योग अपने यौवन पर होता है, इस उद्योग की इस मौसमी प्रकृति के कुछ कारण हैं: पहला, यह एक ऐसा उद्योग है जिसे हम बिना छत का उद्योग कह सकते हैं। इस उद्योग में कार्यरत श्रमिक, कच्चामाल, मशीनें एवं उत्पादित वस्तु सभी कुछ अधिकतर खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है। बरसात के दिनों में जहां एक ओर हिलती ऊंचाइयों पर कार्य करना खतरनाक होता है, वहीं कच्चे माल एवं मशीनों की बरबादी भी होती है। दूसरा, इस उद्योग में कार्यरत श्रमिक मुख्यतः गांवों से

Scanned with OKEN Scanner

आये हुए खेतिहर मजदूर या छोटे किसान होते हैं। बरसात के दिनों में इन्हें गांवों में ज्यादा आसानी से कार्य उपलब्ध हो जाता है, इसलिये ये बरसात में गांव वापस चले जाते हैं। जाड़ों में अत्यधिक निर्माण होने का कारण यह माना जाता है कि बरसात में बंद किये गये पिछले काम एवं नये कार्य मिलकर कुल कार्य की मात्रा बढ़ा देते हैं। फिर जाड़े का मौसम निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए जो खुले आसमान के नीचे कार्य करते हैं, अनुकूल बैठता है। पसीना बहाता श्रमिक जाड़े की धूप तो सहन कर लेता है, परंतु गर्मी की धूप उसे जला देती है।

असंगठित उद्योग

निर्माण उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो अत्यन्त बिखरा हुआ है। किसी भी एक स्थान पर एक बड़ी संख्या में श्रमिकों का एक साथ लंबे समय तक कार्य करना संभव नहीं है। जबकि दूसरे तमाम उद्योग जैसे कपड़ा, स्टील आदि में हजारों श्रमिक एक साथ एक स्थान पर वर्षों कार्य करते रहते हैं। यह ऐसा उद्योग है जिसमें यदि सड़कों का निर्माण ग्रामीण इलाकों में आवश्यक है तो फैक्ट्रियां शहरों में जरूरी, बांध अगर नदी पर बांधना है तो अस्पताल रिहायशी इलाके में, रेलें यदि किसी जंगली इलाके में बिछायी जानी हैं तो सिनेमा हाल शहर के बीचों-बीच। और इन सभी स्थानों पर श्रमिकों को जाना पड़ता है। इन पर नियंत्रण निर्माण में लगी कंपनियां करती हैं। दूसरी ओर छोटे-छोटे घर बनाते श्रमिकों पर सीधा नियंत्रण या तो ठेकेदार का होता है या मकान मालिकों का। इन कारणों की वजह से श्रमिकों का संगठन बन पाना भी काफी कठिन हो जाता है।

दूसरी ओर यह उद्योग पूर्णतः अनियमित उद्योग है। किसी भी उद्योग पर किसी भी तरह का वर्तमान कानून लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग के मालिक, कार्य का स्थान, श्रमिकों की संख्या आदि का पता हो, परंतु इस उद्योग में उपरोक्त में से किसी की भी पूर्ण जानकारी नहीं है। ठेकेदारों पर आश्रित इस उद्योग में उसको चलाने वाले ठेकेदारों की संख्या अनिश्चित है। किसी भी प्रकार की कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, यहां तक कि ठेकेदारी करने से पहले किसी प्रकार का लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है। यही हाल श्रमिक वर्ग का भी है। उनकी संख्या के जो भी अनुमान लगाये जाते हैं, वे इस उद्योग में लगाई गयी पूंजी के आधार पर ही हैं। उद्योग के इस अनियमित रूप के कारण उद्योग और उसमें लगे हुए श्रमिक असंगठित ही हैं।

अदृश्य मालिक

निर्माण उद्योग में कार्यरत श्रमिक बहुधा एक बिचौलिए के माध्यम से ठेकेदार के संपर्क में आते हैं। इस बिचौलिए को जमादार, मुंशी, सरदार आदि बुलाया जाता है। यह "बिचौलिया" ठेकेदारों एवं श्रमिकों से बराबर संपर्क बनाए रखता है एवं उनके बीच एक सूत्र का कार्य करता है। जब भी किसी ठेकेदार को मजदूरों की आवश्यकता होती है, वह इस बिचौलिए के माध्यम से उन्हें मंगा लेता है एवं जब आवश्यकता समाप्त हो जाती है, यह बिचौलिया उन मजदूरों को वापस ले जाता है। ठेकेदार बिचौलिये को मजदूरों की मजदूरी देता है एवं यह बिचौलिया मजदूरों को उनकी मजदूरी में से अपना हिस्सा काट कर दे देता है। मजदूरों के लिए यह बिचौलिया एक ऐसा माध्यम है, जिसके जरिये उन्हें काम मिलता है। इसलिए वे इस बिचौलिए के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी मानते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या में यह बिचौलिया ही उनकी आर्थिक मदद भी करता है।

यदि ठेकेदार एवं श्रमिकों के बीच किसी भी प्रकार का झगड़ा या समस्या होती है तो यह बिचौलिया ही उसमें एक निर्णायक की भूमिका अदा करता है। किसी बीमारी या चोट लगने पर यही उस श्रमिक को अस्पताल पहुंचाने की भी व्यवस्था करता है। श्रमिकों के लिए यही उनका मालिक होता है, परंतु कानूनी रूप से ठेकेदार को मालिक माना जाता है। ठेकेदार से श्रमिकों का संबंध अत्यन्त अस्थायी प्रकृति का होता है। आज वे इस ठेकेदार के यहां कार्य कर रहे होते हैं तो कल दूसरे ठेकेदार के साथ। कानून जिन्हें इन श्रमिकों का मालिक मानता है, उनके साथ इनका संबंध अल्पावधि का होता है एवं जिनके साथ ये लंबे समय से हैं, उनको कानूनी रूप में मालिक नहीं माना जाता है।

निर्माण श्रमिकों की कार्यदशाएं

निर्माण उद्योग का श्रमिक आज सबसे अधिक शोषित एवं उत्पीड़ित स्थितियों में जी रहा है। उसे न तो किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा ही प्राप्त है और न कोई कानूनी अधिकार ही। वह अपने रोज़गार और रोज़गार के बाद मजदूरी प्राप्ति के लिए बिचौलियों के मकड़जाल में मक्खी की भांति फंसता चला जाता है।

मजदूरी:

निर्माण उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें काम करने के लिए लगने वाली कतारें प्रति क्षण लंबी ही होती रहती हैं। निर्माण प्रक्रिया में सर्वाधिक श्रम सघन गतिविधियों के लिए अकुशल श्रमिकों की ही आवश्यकता होती है, जिसके चलते रोज़गार की तलाश में गांव से विस्थापित हो एक श्रमिक बिना किसी प्रशिक्षण के सीधे इस उद्योग में लग सकता है। श्रम की यह अति उपलब्धता, श्रमिकों की मजदूरी कम कर देती है। इस उद्योग में लगे अकुशल मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी प्राप्त नहीं होती।

आम तौर पर इन कामों में लगे पुरुषों को १०-१२ रुपये तथा स्त्रियों को ८-१० रुपये प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। बच्चे तो अक्सर बिना किसी मजदूरी या एक-दो रुपये रोज़ पर ही काम करते हैं। इसमें से जब-तब बिचौलियों का कमीशन भी कटता रहता है।

सुरक्षा:

निर्माण उद्योग के श्रमिकों को सदैव जोखिमों से खेलना पड़ता है। ऊंचाइयों पर कार्य करते समय हमेशा गिर पड़ने का खतरा बना रहता है और बहुधा इस जोखिम से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षा यंत्र जैसे कमर की बेल्ट जिसे किसी मजबूत चीज से बांधा जा सके, उपलब्ध नहीं कराई जाती। निर्माण उद्योग में आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं। तमाम संस्थानों जैसे आई०एल०ओ० आदि ने अपने अध्ययनों में पाया है कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होने वाले उद्योगों में निर्माण उद्योग काफी ऊपर आता है। दो सीढ़ियां जोड़कर पुताई करते हुए श्रमिक को हम आसानी से देख सकते हैं, रस्सी के टुकड़े से जुड़ीं दो सीढ़ियां कभी भी टूट सकती हैं और उन्हें बाध्य होकर ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि उनका मालिक या ठेकेदार उन्हें ऊंची सीढ़ी या कोई दूसरा साधन नहीं प्रदान करते। वे ऊंची सीढ़ी देने के बजाए दूसरा आदमी रख लेना ज्यादा आसान पाते हैं। इस प्रकार के सैकड़ों खतरे हैं। उनसे दुर्घटनाएं भी होती ही रहती हैं। साथ ही निर्माण स्थान में उड़ने वाली धूल प्रयोग करने वाले रसायन इत्यादि धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य को खोखला बना देते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

स्त्रियों का शोषण:

यूं तो लगभग प्रत्येक उद्योग में महिलाओं का शोषण होता है, परंतु निर्माण उद्योग में ऐसा विशेषकर है। यदि वे पुरुष श्रमिकों से अधिक कार्य नहीं करतीं तो उनसे किन्हीं अर्थों में कम भी नहीं करती हैं। इस उद्योग में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी पर सर्वाधिक जोखिम भरा और थका देने वाला काम करती हैं। कच्चा सामान, जैसे मिट्टी, ईंट, गारा आदि उठाकर चलना या सीढ़ियां चढ़ना आदि इन्हें ही करना पड़ता है। इस कठिन काम को करते वक्त उन्हें अपने सामाजिक-पारिवारिक दायित्व भी निभाने पड़ते हैं। जैसे निर्माण स्थल में अक्सर महिलाएं अपने बच्चे साथ लाती हैं, उन्हें बीच-बीच में उनकी देखभाल करनी होती है, परंतु इसके लिए अवकाश की कोई सुविधा नहीं है। उन्हें मालिक या ठेकेदार की डांट सुनने पर बाध्य होना पड़ता है। कई बार ये मालिक एवं ठेकेदार शारीरिक रूप से भी महिलाओं को परेशान करते हैं।

बंधुआ मजदूर:

बंधुआ मजदूर सबसे ज्यादा जिन उद्योगों में पाए जाते हैं, उनमें निर्माण उद्योग मुख्य है।

ईंट के भट्टों में तो पूरा-पूरा परिवार ही बंधुआ बना लिया जाता है। वहां पर काम करने वाले श्रमिकों को बंधुआ बनाकर कम से कम मजदूरी पर काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। आम तौर पर भी यदि किसी एक भट्टे से श्रमिक कार्य छोड़कर दूसरे भट्टे पर जाना चाहें, तो पहले उसे मालिक से वह चिट प्राप्त करनी पड़ती है जिसमें यह लिखा होता है कि इस श्रमिक पर हमारा कोई पैसा बकाया नहीं है। किसी भी नये भट्टे पर काम तभी मिलता है जब यह चिट दिखायी जाए। यदि इस पर यह लिखा हुआ होता है कि इस मजदूर पर हमारा "इतना" रुपया बकाया है तो फिर पुराने भट्टे मालिक से नया भट्टा मालिक इस श्रमिक को "वह" पैसा चुका कर खरीद लेता है। फिर इस श्रमिक को इस नये मालिक के पास तब तक काम करना पड़ता है, जब तक वह यह पैसा चुका न दे और यह बहुत कठिन होता है।

इसके अतिरिक्त बिचौलियों की लंबी श्रृंखला और ठेकेदारों व कंपनियों से उनकी सांठ-गांठ के कारण भी इस उद्योग में बंधुआ मजदूरों का व्यापक प्रचलन है।

सामाजिक सुरक्षा:

निर्माण उद्योग के श्रमिक को कोई भी ऐसे लाभ जैसे चिकित्सा, अवकाश, पेंशन, प्रोविडेन्ट फण्ड आदि नहीं प्राप्त होता है। वह स्कूल बनाता है, पर उसके बच्चों को वहां जाने का अधिकार नहीं होता है। वह चिकित्सालय बनाता है, परंतु भट्टे में कराहते हुए दम तोड़ने को बाध्य किया जाता है।

वह अपना पेट तब तक भर सकता है, जब तक वह काम करने योग्य होता है! इसके बाद यह उद्योग उसे उठाकर कूड़े की तरह फेंक देता है। वह बाध्य हो जाता है अपने परिवार पर बोझ बनने के लिए।

वह श्रमिक जो समाज को सुरक्षित-आरामदेह जिन्दगी प्रदान करता है, उसकी खुद की जिन्दगी के लिए समाज ने कोई नियम-कानून नहीं बनाए हैं।

वर्तमान श्रम कानून इस उद्योग के लिए अनुपयुक्त क्यों?

अगर हम कानून के बनाये जाने की प्रक्रिया पर नजर डालें तो पायेंगे कि कोई भी कानून सरकार अपने आप श्रमिकों की भलाई के लिए नहीं बनाती। समस्त वर्तमान श्रम कानून श्रमिकों के संघर्षों की देन है, चाहे वह फैक्ट्री अधिनियम हो या प्रोविडेन्ट फण्ड अधिनियम। प्रत्येक अधिनियम तब ही बना है, जब श्रमिक वर्ग ने आवाज उठाई है, उसके लिए संघर्ष किया है।

अभी तक के मजदूर आंदोलनों में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका संगठित उद्योगों के श्रमिकों की रही है। इसका मुख्य कारण उनका **"एक स्थान पर बड़ी संख्या में आपस में मिल-बैठकर समस्या पर विचार कर सकना"** है।

संगठित उद्योगों के श्रमिकों ने जब अपने शोषण के खिलाफ़ संघर्ष किया, तो सरकार ने जो कानून बनाये, वे **सिर्फ इस वर्ग को ध्यान में रखकर बनाये।**

कानून बनाने वालों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इन कानूनों से असंगठित वर्ग लाभान्वित होता है या नहीं।

यह बात एक-दो उदाहरणों से और भी स्पष्ट हो जाती है। जैसे एक कानून कहता है कि कोई भी श्रमिक किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति का हकदार तभी होगा जब वह अपने मालिक के साथ कम से कम छः महीने लगातार काम कर चुका हो। क्या मतलब होता है इस शर्त का? यही न कि अगर आप आज एक घर के मालिक या ठेकेदार के साथ कुछ दिन काम करते हैं और कल दूसरे घर के मालिक या ठेकेदार के पास जाकर उसका काम करते हैं, तो आप किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं हैं।

यहां तक कि एकत्रित प्रोविडेन्ट फण्ड, ग्रेच्युटी तब दिया जाता है, जब आप स्थायी रूप से काम कर रहे हों। वहां भी अगर बार-बार आप रोज़गार छोड़ें तो इन चीजों के हकदार नहीं बन सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद की पेंशन तो सरकारी उद्योगों में भी २० साल लगातार काम करने के बाद ही दी जाती है। उसके पहले यदि नौकरी छोड़ दें तो यह सुविधा प्राप्त नहीं होती।

Scanned with OKEN Scanner

फैक्ट्री एक्ट (जिसके तहत काफी सुविधाएं देने की घोषणा है) तभी लागू किया जाता है, जब कम से कम १० मजदूरों एवं विद्युत शक्ति का प्रयोग उद्योग में किया जाए। दीवाली के मौकों पर पुताई करने वाले वे चार श्रमिक क्या करें जहां न विद्युत शक्ति का इस्तेमाल है, न संख्या ही १० है।

इस प्रकार हम देखें तो यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान श्रम कानूनों को लागू करने की दो बुनियादी मांगें हैं: एक स्थायी उद्योग, दूसरा स्थायी मजदूर मालिक संबंध।

निर्माण उद्योग प्रकृति से ही घुमक्कड़ है। न कार्य स्थल ही स्थिर है और न मजदूर-मालिक संबंध। वे आज यहां, कल वहां की स्थिति में काम करते हैं। यदि कुछ भी स्थिर रहते हैं तो वह हैं वे भवन, सड़क, पुल आदि जो उन्होंने निर्मित किये हैं।

ऐसे में वर्तमान श्रम कानून को इस उद्योग में लागू कर पाना कहां तक संभव है? वास्तव में आज आवश्यकता है एक राष्ट्रीय निर्माण उद्योग अधिनियम की, जो इस उद्योग की विभिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। जिसमें यह ख्याल रखा जाए कि यह उद्योग स्थिर उद्योग में नहीं बदला जा सकता। इसमें उस फैक्ट्री एक्ट के लागू करने से कोई लाभ नहीं होगा जो कहता है कि यदि श्रमिकों की संख्या "इतनी" हो तो उन्हें "इतनी" सुविधाएं देनी चाहिएं।

इस घुमक्कड़ व्यवसाय के लिए कानून भी ऐसा चाहिए जो हर श्रमिक और ठेकेदार के साथ घूम सके। एक घुमक्कड़ व्यवसाय के लिए स्थिर प्रकृति का कानून पूर्णतः अनुपयुक्त होगा।

दिल्ली में आयोजित इस गोष्ठी में उपरोक्त बातों का ध्यान रखकर एक अधिनियम की संभावना पर काफी चर्चा हुई। श्रमिकों, श्रमिक नेताओं एवं वकीलों की आपसी मदद से एक संभावित अधिनियम की रूप-रेखा तैयार की गयी।

प्रस्तावित अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

● केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय निर्माण बोर्ड की स्थापना की जाए। इस बोर्ड में श्रमिकों, सरकार एवं ठेकेदारों की प्रतिनिधि ५:३:२ के अनुपात में हों। यह बोर्ड इस अधिनियम को चलाने वाली सर्वोच्चिय संस्था होगी।

● केंद्रीय बोर्ड का कार्य संयोजन एवं जांच-पड़ताल आदि का होगा, जबकि राज्य स्तरीय बोर्ड अधिनियम को लागू करने वाला होगा।

● इस बोर्ड के अंतर्गत निर्माण उद्योग में लगे सभी श्रमिकों एवं ठेकेदारों को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के इस उद्योग में कार्य करना अपराध माना जायेगा।

● किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने के पहले इस बोर्ड में निर्माता को आवेदन करना होगा एवं आवेदन के समय उसे–

(अ) श्रमिकों की मजदूरी (जिसमें प्रोविडेंट फण्ड, ई०एस०आई० इत्यादि की रकम शामिल होगी) भुगतान करना होगा।

(ब) निर्माण की कुल लागत का एक निश्चित प्रतिशत श्रमिकों के कल्याण, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, न्यूनतम मजदूरी आदि के लिए देना होगा।

● एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले में श्रमिकों के जाने पर उन्हें इस बोर्ड को स्थानान्तरण हेतु सूचित करना होगा।

● सभी पंजीकृत श्रमिकों को कम से कम १५ दिन की न्यूनतम मजदूरी अवश्य दी जायेगी।

● श्रमिकों को पास बुक दी जाएं जिनमें उनके प्रोविडेंट फण्ड, ग्रेच्युटी, इत्यादि का लेखा-जोखा हो, जो श्रमिकों के स्थानान्तरित होते ही दूसरे राज्य में स्थानान्तरित हो सके।

● इस अधिनियम की विशेषता यह होगी कि वह इस बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों से बराबर सम्पर्क रखेगा एवं उद्योग में श्रमिकों एवं ठेकेदारों के बीच एक माध्यम का कार्य करेगा।

क्या यह संभव है?

गोष्ठी के दौरान और उसके बाद यह प्रश्न बराबर उभरता रहा है: क्या यह संभव है? क्या सरकार इस तरह का विशेष अधिनियम बनाएगी? क्या निर्माण उद्योग के मजदूरों की स्थिति में ऐसे अधिनियम से सुधार आएगा?

पहला रोड़ा तो यह अटकाया जाएगा कि ऐसे विशेष अधिनियम और बोर्ड की स्थापना का औचित्य क्या है? हम "गोदी श्रमिक बोर्ड" का उदाहरण अपने तर्क में प्रस्तुत कर सकते हैं। बंदरगाहों पर जहाजों से माल चढ़ाने-उतारने का काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति ऐसी ही थी। आखिर सरकार ने एक विशेष अधिनियम और बोर्ड की स्थापना तो करी ही। उस बोर्ड का अनुभव दर्शाता है कि निर्माण उद्योग के मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए ऐसे बोर्ड की स्थापना तर्कसंगत है।

फिर सरकार इस दिशा में क्या रवैया अपनाती है? पिछले बीस-पच्चीस वर्षों से निर्माण उद्योग के मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के सरकारी "दृढ़ संकल्प" को बार-बार दोहराया जाता रहा है, पर इधर एक वर्ष से केंद्रीय सरकार के श्रम मंत्री ने खुलकर नया कानून बनाने की सिफारिश स्वयं की है। हां, अफसरी रुख कुछ खास स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसा संभव है कि वर्तमान सरकार निर्माण उद्योग के श्रमिकों के प्रति कुछ ठोस कदम उठाए।

पर देश में श्रमिक कानूनों का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि श्रमिक कानून श्रमिकों के सामूहिक दबाव और संघर्ष के बाद ही बनाए जाते हैं। अतः निर्माण उद्योग के श्रमिकों द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर सामूहिक प्रयास के बाद ही सरकार ठोस कदम लेगी। दूसरे, इस सामूहिक प्रयास में यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्रीय सरकार कोई ढीला कानून न बना दे, जैसा तमिलनाडु में किया गया है। गोष्ठी में प्रस्तावित उसके तमाम पहलुओं पर वह विशिष्ट अधिनियम बने जो वास्तविकता में निर्माण उद्योग के श्रमिकों की स्थिति में सुधार ला सकें।

निर्माण उद्योग के मजदूरों की स्थिति आज ऐसी है कि उनका एक छोटा अंश ही जागरूक और संगठित है। समूचे उद्योग से जुड़े श्रमिकों, खासकर महिला श्रमिकों के बीच चेतना बढ़ाने का शैक्षणिक कार्यक्रम जरूरी है। उसके आधार पर ही संगठनात्मक प्रक्रिया में तेजी आ सकेगी।

इस राष्ट्रीय गोष्ठी से उभरे सुझावों को भी आम मजदूर के बीच रखना और चर्चा चलाना आवश्यक है। ऐसे विशेष अधिनियम की आवश्यकता और उसके पहलुओं पर जितनी व्यापक चर्चा हो उतना ही उचित अधिनियम बन पाएगा और क्रियान्वित किया जा सकेगा। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से चेतना बढ़ाने के काम में भी विशेष मदद मिलेगी।

हमारे बारे में

सोसाइटी फॉर पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया ('प्रिया') नई दिल्ली स्थापित एक स्वयंसेवी संस्था है। संस्था का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संगठनों और समूहों के साथ जुड़कर गरीब लोगों द्वारा अपने वर्गीय हितों में चलाए जा रहे संगठनों और आंदोलनों को एक छोटी-सी मदद पहुंचाना है। 'प्रिया' यह मदद प्रशिक्षण, अनुसंधान, मूल्यांकन और शैक्षणिक सामग्री की तैयारी के माध्यम से करती है। हमारी संस्था में दस से कम लोग हैं और देश के अन्य भागों में स्थानीय लोगों से मिलकर ही हम काम करते हैं।

पिछले चार वर्षों में प्रिया ने प्रौढ़ शिक्षा, वनवासी और वन-विनाश, भूमि हस्तांतरण, औद्योगिक स्वास्थ्य, आदि विषयों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया है। इसके अलावा अनेक स्थानों पर स्थानीय विषयों को लेकर कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं।

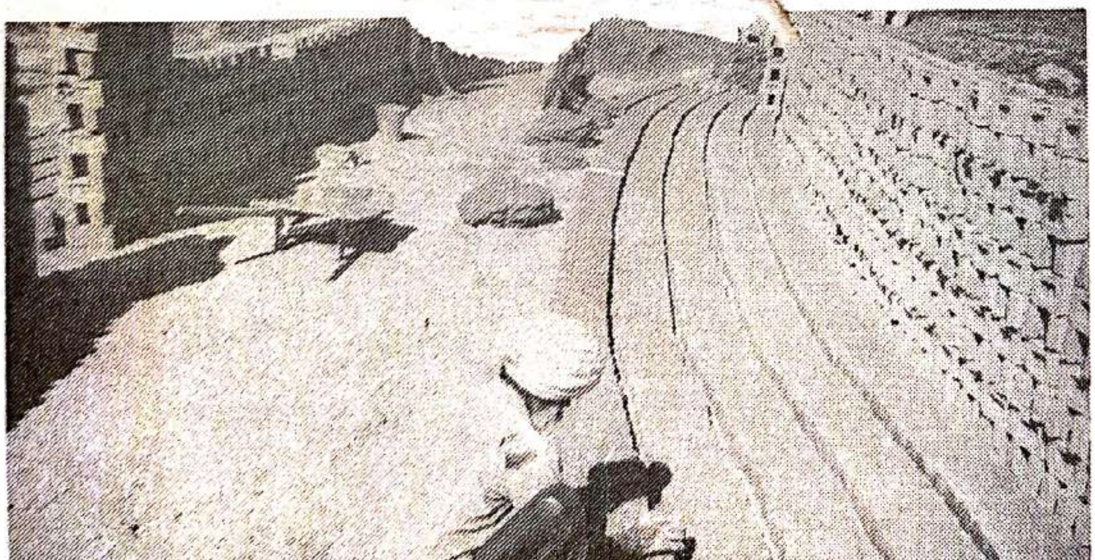

प्रिया

45 सैनिक फार्म, खानपुर, नई दिल्ली - 110062

Society for Participatory Research in Asia LIBRARY N. Delhi
257 8/9/83